(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). A Collector has since been posted at Cochin.

Maternity Beds in District Hospital of Bihar

10137. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of statement made by the Health Minister of Bihar recently that the number of maternity beds in all the district hospitals of the State would be increased;

(b) if so, whether Government propose to grant some aid to the Government of Bihar for the implementation of the said scheme;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the House as soon as possible.

संसद सदस्यों द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका में जमा की गई जमा राशि की वापस अदायगी

10138. **श्री निहाल सिंह**: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों द्वारा पानी तथा बिजली के कनेक्शन देने/हटाने हेतु अथवा मीटर के लिए जमा की गई जमा राशि की वापस अदायगी करने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका के सचिव को लिखे गये पत्रों को सचिव को दिखाने की बजाये वहां एक शाखा में दबाकर रख दिया जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य शाखाओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाही नहीं हो पाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि जब कोई संसद सदस्य अपने फ्लैट अथवा अपने नौकर के मकान को बदलता है और वह सचिव को मीटर हटाने तथा जमा राशि लौटाने का आवेदन करता है तो भी फ्लैट अथवा नौकर के मकान में लगे मीटर का किराया-बिल उसी प्रकार उस सदस्य के नाम में जारी रहता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गत छः महीनों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है और सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे भविष्य में इस प्रकार की अनियमिततायें न हों?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) की गई जांचों से पता चला है कि पानी तथा बिजली के कनेक्शन देने/हटाने के लिए अथवा मीटरों के लिए जमा की गई जमा राशि की वापस अदायगी करने हेतु संसद् सदस्यों द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका के सचिव के नाम प्रेषित सभी पत्रों को, जब तक ये अर्ध-सरकारी पत्र न हों, नई दिल्ली नगरपालिका के सचिव को नहीं भेजा जाता है क्योंकि वे इस मामले से सम्बन्धित नहीं हैं। इन पत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभाग, वाणिज्य एवं कराधान विभाग को तुरन्त भेज दिया जाता है यह विभाग वाणिज्य एवं कराधान अधिकारी के नियन्त्रण में है। अतः ऐसे पत्र बिना कार्यवाही हुए नहीं रहते।

इसके अलावा 13-2-70 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के अध्यक्षों की बैठक में किए गए निर्णयानुसार संसद सदस्यों की जमा राशि उन्हें लौटाने के मामलों के लिए सीधी जुम्मेवारी के लिए एक अधिकारी की